**आदेश 6 नियम 16 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र**

**(Application under order 6, Rule 16 CPC)**

न्यायालय……

वाद नंबर ............ सन् ............

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स० द० फ० ............ प्रतिवादी

प्रार्थी/वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि वाद पत्र/लिखित कथन के प्रस्तर ............ के अभिकथनों में लगाये आरोप/कथन अनावश्यक, तुच्छ, तंग करने वाला/वाद के स्वच्छ विचारण को प्रतिकूल रूप से प्रभावति करने वाला, उलझन में डालने वाला, या विलम्बित करने वाला/न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग करने वाला है वाद बिन्दुओ के निस्तारण हेतु आपेक्षित नहीं है। काट दिये/संशोधित किये जाने योग्य है । न्यायालय के आदेश से ही सम्भव है ।

**प्रार्थना:**

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि वाद पत्र में लगाये गये उक्त आरोपों को पृथक करने के आदेश प्रदान किये जायें।

**स्थान ............ दिनांक ......... प्रार्थी…….**

**द्वारा अधिवक्ता …….**

**नोट** - प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न करें